

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उ०प्र०।
21 विधान सभा मार्ग :: लखनऊ, उत्तर प्रदेश।


पत्रांक 433 / मनरेगा सेल / पत्रा०सं०-14 / 2020-21

दिनांक 24 मार्च, 2021

निरस्तीकरण / सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-433/मनरेगा सेल/पत्रा०सं०-14/2019 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा बस्ती, चित्रकूट, मिर्जापुर, देवीपाटन, अयोध्या (फैजाबाद) एवं लखनऊ मण्डलों में लोकपाल चयन के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी।


उक्त विज्ञप्ति अपरिहार्य कारणों से शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया।


रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : /मनरेगा सेल/पत्रा०सं०-14/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (तकनीकी) एन०आई०सी० योजना भवन, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित की ग्राम्य विकास की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित की अपने सूचना पट पर चर्चा कराने का कष्ट करें।
3. नाजिर कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, दसवौं तल जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की सूचनापट पर चर्चा कराने हेतु।
4. नाजिर मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित की सूचनापट पर चर्चा करायें।


रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उ०प्र०।

21 विधान सभा मार्ग :: लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : /मनरेगा सेल/पत्रा०सं०-14/2020-21

दिनांक २५ मार्च, 2021

निरस्तीकरण / सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-433/मनरेगा सेल/पत्रा०सं०-14/2019 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा बस्ती, चित्रकूट, मिर्जापुर, देवीपाटन, अयोध्या (फैजाबाद) एवं लखनऊ मण्डलों में लोकपाल चयन के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी।

उक्त विज्ञप्ति अपरिहार्य कारणों से शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 730 /मनरेगा सेल/पत्रा०सं०-14/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (तकनीकी) एन०आई०सी० योजना भवन, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित की ग्राम्य विकास की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित की अपने सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. नाजिर कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, दसवौं तल जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की सूचनापट पर चस्पा कराने हेतु।
4. नाजिर मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित की सूचनापट पर चस्पा करायें।

रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।